



UPAU120044952025

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना, औरैया।

एफ0आर0 वाद सं0-175 / 2025

सत्यनारायण सिंह

बनाम

अज्ञात

मु0अ0सं0-263 / 2024

अन्तिम रिपोर्ट सं0-76 / 2024

धारा-318(2) बी0एन0एस0

थाना-बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक-01.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा सत्यनारायण सिंह को नोटिस जारी किया गया। वादी मुकदमा पर न्यायालय द्वारा नोटिस की तामीला पर्याप्त माना गया है, परन्तु वादी की ओर से कोई प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी मुकदमा विगत पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। वादी मुकदमा को सुनवाई हेतु न्यायहित में समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा दिनांक 29.04.2026 को आपत्ति हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। वादी आज भी अनुपस्थित है। ऐसा दर्शित होता है कि वादी उक्त प्रकरण को आगे चलाने में कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त एफ0आर0 में कोई अग्रिम कार्यवाही किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उक्त एफ0आर0 आपत्ति के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

थाना बिधूना, जिला औरैया द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं0-76 / 2024 दिनांकित 06.10.2024, मु0अ0सं0-263 / 2024, अर्न्तगत धारा-318(2) बी0एन0एस0 स्वीकार की जाती है। तदनुसार एफ0आर0 वाद संख्या 175 / 2025 निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कुशाग्र मिश्र)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code : UP4693